



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 4 राँची, बुधवार 14 माघ, 1942 (श०)
3 फरवरी, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 31 -- 35

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1—क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1—ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1—ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9—क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9—ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई, 2020

संख्या-01/विविध-848/2014का०3282--श्री शशि रंजन, भा0प्र0से0 (झा:2014), कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम (18B) के तहत दिनांक 03.07.2020 से 10.07.2020 तक कुल 05 दिनों पितृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई, 2020

संख्या-04/नि०सं०-12-08/2014 का० 3278--श्रीमती सुनीता किस्कू, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला- गोड्डा), अंचल अधिकारी, मंडरो, साहेबगंज को दिनांक 24.08.2018 से 28.08.2018 तक (कुल 05 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,

सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

12 जनवरी, 2021

संख्या- 3/नि0सं0-09-14/2020 का. 228-- श्री प्रताप चन्द्र किचिंगिया, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 655/03 गृह जिला- राँची), उप विकास आयुक्त, सिमडेगा को दिनांक 26.01.2005 से 03.02.2005 तक (कुल 09 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

19 जनवरी, 2021

संख्या- 4/नि0सं0-12-120/2014 का. 356-- श्रीमती पायल राज, झा0प्र0से0 (वरीयता क्रमांक- 265/20, गृह जिला- प0 सिंहभूम), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टुण्डी, धनबाद को निम्नवत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- | | | |
|------|---|---|
| (i) | <u>दि0 22.05.2015 से 17.11.2015 तक</u>
(180 दिन) | मातृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभागीय संकल्प सं0 551 दिनांक 01.03.2007 एवं 1997 दिनांक 01.07.10 के तहत |
| (ii) | <u>दि0 18.11.2015 से 18.02.2016 तक</u>
(93 दिन) | उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

20 जनवरी, 2021

संख्या-03/नि0सं0-09-32/2020 का. 400--श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-864/03), उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की निम्न अवधियों की अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- i. दिनांक 01.09.2020 से 27.09.2020 तक :- निरोधा अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 166 के अधीन परिशिष्ट 13 के तहत।
(कुल 27 दिन)
- ii. दिनांक 28.09.2020 से 11.10.2020 तक :- उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।
(कुल 14 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

20 जनवरी, 2021

संख्या-03/नि0सं0-09-14/2018 का. 399--श्री जावेद अनवर इदरीसी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-845/03), उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 31.08.2020 से दिनांक 27.09.2020 तक (कुल 28 दिनों का) निरोधा अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 166 के अधीन परिशिष्ट 13 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

21 जनवरी, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-123/2014 का. 469--श्रीमती रूबी कुमारी, झा०प्र०से० (वरीयता क्रमांक-203/20, गृह जिला- पटना), अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा को दिनांक 02.12.2013 से 09.12.2013 तक (कुल 8 दिन) के उपार्जित अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

21 जनवरी, 2021

संख्या-1/विविध-833/2019 का०- 423--श्री दीपक कुमार शाही, भा.प्र.से. (झा:2007), निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 21.10.2020 से 06.11.2020 तक कुल 17 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।